न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

[redacted] अधिकारी	:–	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:–	जीसीएमएस नंबर 2023/268 मैन्युअल नंबर 125/2023
रजु दिनांकः	:–	04.10.2023

1. कमलेश
2. मुकेश
3. रामराज

पि0 रामसहाय जाति मीना निवासी ग्राम बिलौना कलां शीशवाली ढाणी, तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अपीलांटस)

बनाम

1. मोतीलाल
2. हरिराम
3. फूलचन्द

पि0 स्व0 रतनलाल

4. लाडबाई पुत्री स्व0 रतनलाल
5. ज्याना पत्नी स्व0 रतनलाल

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम गोतोड तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर (राज0)

6. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला दौसा (राज0)

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः– 01. अपीलांटस की ओर से : श्री के0के0 सैनी एडवोकेट
02. रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 5 की ओर से : श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 19/11/2025

अपील विरूद्ध अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1801 वाकै ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट का आदेश दिनांक 24.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील विरूद्ध अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1801 वाकै ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट इस आशय की पेश की गई कि आराजी भूमि ख0नं0 412 रकबा 0.2782 हैक्टेयर वाकै ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी भूमि सहखातेदारी की भूमि रही है परन्तु उक्त भूमि के पूर्व खातेदारान स्व0 रतनलाल व बुद्धा के बुजुर्गान द्वारा लगभग 70–80 वर्षो पूर्व उक्त भूमि जो कि काबिले काश्त एवं उपजाऊ नहीं होने

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

के कारण भूमि को हमेशा के लिये त्यागकर ग्राम गोतोड तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर में जाकर स्थायी रूप से बस गये एवं वही अपने निवास भूमि वगै0 बना ली गई। इसके कुछ समय बाद बुद्धा द्वारा रतनलाल की सहमति से ग्राम बिलौना कलां आकर उक्त हिस्से की प्रतिफल राशि रामफूल के पिता भौरया से प्राप्त करके वापस चले गये इसके बाद भौरया द्वारा रतनलाल व बुद्धा के हिस्से पर भी उक्त भूमि के सम्पूर्ण भू-भाग को अपनी अथाह मेहनत व लागत लगाकर काबिले काश्त व उपजाऊ बनाया जाकर काश्त करना शुरू कर दिया तथा भूमि के चारो तरफ अपनी स्थाई डोल कायम की गई जो आज भी मौजूद है तथा रतनलाल अपने जीवनकाल तक ग्राम गोतोड में ही रहा तथा ग्राम गोतोड में ही उसका स्वर्गवास हुआ तथा स्व0 रतनलाल के वारीसान रेस्पो0 सं0 1 लगायत 4 ग्राम गोतोड में ही जन्मे वहीं पले बडे हुये वही उसकी शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह हुये एवं रतनलाल का विवाह भी रेस्पो0 सं0 5 के साथ वही हुआ इस प्रकार बुद्धा भी ग्राम गोतोड में ही रह रहा है। किन्तु रतनलाल के स्वर्गवास के पश्चात् ग्राम बिलौना कलां के कुछ राजनितिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों द्वारा रतनलाल के वारीसान को खोजकर बिना विधिक प्रक्रियाओं के ही राजस्व ऐजेन्सी से मिलीभगत करके रेस्पो0 सं0 1 लगायत 5 के हक में नामान्तरकरण सं0 1801 दर्ज करवाकर तहसीलदार लालसोट से मिलीभगत करके दिनांक 24.06.2023 को स्वीकृत करवा लिया।

अपीलांटस ने अपनी अपील के समर्थन में कथन किए है कि तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण विधि, कानून प्रक्रिया एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण प्रथमतः ही निरस्तनीय है। अपीलांटस के कथन है कि प्रश्नगत नामांतरण में भू0अ0नि0 की जांच रिपोर्ट अनुसार रेस्पो0 सं0 1 लगा0 5 को जो सजरा प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है वह ग्राम पंचायत बिलौना कलां से जारी नही होकर ग्राम गोतोड तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर से जारी हुआ है जिससे प्रमाणित है कि रेस्पो0 सं0 1 लगा0 5 अपने पूर्वज स्व0 रतनलाल के जीवनकाल से ही ग्राम गोतोड तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर के स्थाई निवासी है जिनका विवादित नामा0 में वर्णित से कोई संबंध सरोकार कब्जा आदि नहीं रहा है न ही वर्तमान में है तथा नियमानुसार नामा0 दर्ज होने के 45 दिवस की समय सीमा में नामा0 पर निर्णय करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत बिलौना कलां को था किन्तु उक्त नामा0 तहसीलदार लालसोट द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत कर दिया। प्रश्नगत नामान्तरण को स्वीकृत करने से पूर्व कब्जे एवं भूमि की स्थिति बाबत् कोई जांच नही की गई न ही प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। इस प्रकार कथन करते हुए अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधि0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. पेश कर अपील को स्वीकार करने व तहसीलदार लालसोट द्वारा नामांतरण संख्या 1801 ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत् पारित आदेश दिनांक 24.06.2023 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी की गई व तहसीलदार लालसोट से मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। मूल नामा0 अभिलेख प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए है कि प्रश्नगत नामांतरण से संबंधित भूमि ख0नं0 412 स्थित ग्राम बिलौना कलां सहखातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार रतनलाल के वारिस ग्राम गोनोड जिला सवाई माधोपुर में जा बसे। उक्त भूमि पर अपीलांटस के बोरिंग होने के साथ अपीलांटस का उक्त भूमि पर कब्जा है एवं अपीलांटस इस भूमि में सहखातेदार है। सरपंच ग्राम पंचायत बिलौना कलां द्वारा उक्त भूमि पर रतनलाल व बुद्धा तथा उनके वारिसान का कब्जा काश्त नही होने के संबंध में लिखित में दिया गया है जिसकी फोटो प्रति दस्तावेज के साथ पेश की है। अधिवक्ता अपीलांटस ने दलील पेश की है कि 45 दिन तक नामांतरण निर्णीत करने का अधिकार तहसीलदार को नही होकर संबंधित ग्राम पंचायत को है। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील को स्वीकार करने व तहसीलदार लालसोट द्वारा नामांतरण संख्या 1801 ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत् पारित आदेश दिनांक 24.06.2023 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैः–

न्यायिक दृष्टांत RRT 2003(1) पेज नं0 596 Sita Ram vs. Mahesh Chand & Ors.

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 – धारा 135 – निगरानी– 2.6.1995 को भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई तथा तहसीलदार ने 3.6.1995 को नामान्तरकरण तस्दीक किया– आदेश बिना अधिकारिता के था– पहले 45 दिन के अन्दर नामान्तरकरण खोलने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम थी– नामान्तरकरण अब विवादित हुआ– पक्षकारों को सुनने के पश्चात तहसीलदार अब नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्राधिकृत है– आलोच्य आदेश न्यायसंगत है।"

न्यायिक दृष्टांत RRT 2019 (2) पेज नं0 1392 Harinarayan vs. Shankar Singh

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135 व 84– नामान्तरकरण–अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ने नामान्तरकरण की स्वीकृति के आदेश के विरूद्ध अपील खारिज की– रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया– प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया– निचले न्यायालयों ने निगरानी में उठायी आपत्तियों को निर्णीत नहीं किया– निचले न्यायालयों के दोषपूर्ण निष्कर्ष–निर्णीत, आदेश अपास्त किये तथा पुनः निर्णीत करने हेतु मामला तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया।"

न्यायिक दृष्टांत RRT 2019 (2) पेज नं0 1053 Moola Ram vs. Kishanlal

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 –धारा 135 व 84– 15.4.1975 को तहसीलदार ने निगरानीकारान के पक्ष में कब्जा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया– प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश अपास्त किया और मामला प्रतिप्रेषित किया– निगरानीकारान की द्वितीय अपील खारिज हुई– निगरानी– सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

निगरानीकारान रेकॉर्डेड खातेदार नहीं थे न उनका नाम सम्वत् 2012 की जमाबन्दी में दर्ज था-धारा 19(1)(ए) के अन्तर्गत निगरानीकारान के पक्ष में खातेदारी स्वीकृत नहीं की जा सकती-निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं है व यथावत् रखी।''

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलांट की दलीलो का विरोध करते हुए कथन किये कि प्रश्नगत नामांतरण विरासत का नामांतरण है। खातेदार की मृत्यु पश्चात विरासत के नामान्तरण में कब्जे की जांच नही की जाती है तथा केवल मृतक खातेदार के विधिक वारिसों की जांच की जाकर नामांतरण की कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांटस की अपील खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामा0 अभिलेख तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 1801 वाकै ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट का आदेश दिनांक 24.06.2023 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक वारिसो के नाम पुनः नामांतरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19/11/2025.....को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा